

प्रेषक,

रेणु कुमारी

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय :- डा० अक्षय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक, पी०एम०आर० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को कुल-300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-1466(25) दिनांक-14.08.2024 के आलोक में स्वीकृत।

2. डा० सिन्हा दिनांक-30.09.2024 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
3. वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना कृपया डा० सिन्हा के सभी सरकारी बकाया आदि के संबंध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो लेगे, तदोपरांत प्राधिकार पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना होंगे तथा इसकी निकासी जिला कोषागार, पटना से होगी।
5. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(रेणु कुमारी)

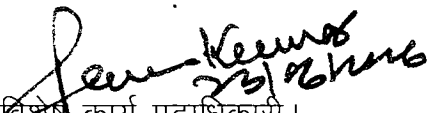
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/पेन-41/2024 — 727(17) /स्वा०, पटना, दिनांक- 23.06.26

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा० अक्षय कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक, पी०एम०आर० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, पत्राचार का पता-बड़ी संगत (लाल मंदिर के सामने), डाकघर-जहानाबाद, थाना-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद, पिन कोड-804408 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।